

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अकाद./2020/ 5404

जबलपुर, दिनांक 25/9/2020

प्रति,

प्राचार्य,

.....
.....
.....

विषय:- पर्यावरण अध्ययन मण्डल के पुर्नगठन विषयक ।

महोदय,


मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) एवं (3) के अन्तर्गत जीव विज्ञान संकाय के अधीन पर्यावरण अध्ययन मण्डल का गठन किया जाना है। जिसमें धारा 28(2) एवं धारा 28(4) के निम्न प्रावधान के अन्तर्गत महाविद्यालयीन विभागाध्यक्षों का नाम निर्देशन किया जाना है यथा:-

Section 28(2)(ii) : Two Heads of College Department in College teaching the said subject upto the postgraduate level to be nominated by the Kulpati by rotation according to seniority.

Section 28(2)(iv) : Two Heads of College Department in College teaching the said subject upto the degree level to be nominated by the Kulpati by rotation to seniority.

अतः आपसे अनुरोध है कि जीव विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पर्यावरण विषय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्षों के नाम जिनकी नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के तहत हुई है, इस कार्यालय को अविलम्ब भेजें। साथ ही स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष है यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो अलग अलग कॉलम में।

कृपया पावती सूचित करें।


सहायक कुलसचिव(अका0)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर


जबलपुर, दिनांक 25/9/2020

पृ0 क्रमांक/अका0/2020/ 5404

'अ'

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. प्रमारी, कम्प्यूटर सेंटर इस अनुरोध के साथ की पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।


अनुभाग अधिकारी(अका0)